दिनांक	फर्द अहकाम
14/3/2022	पत्रावली दिखाई गई। वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं। प्रकरण में बार बार वादी व वादी वकील को आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। जिससे यही जाहिर होता है कि वादी व वादी वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मु० नं० 255/2021 दीवा भगवान सिंह बनाम [illegible] अदम हाजरी व अदम पैरवी खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर दफ्तर की जाय। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:36:56 IST
Reason: SelfAttested